रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 129] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 22, 2017/फाल्गुन 3, 1938
No. 129] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 22, 2017/PHALGUNA 3, 1938

पर्यावरण, वन, और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 2017

सा.का.नि.161(अ).—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (वर्ग -4 पद) भर्ती नियम, 1974, जहां तक उनका संबंध फील्डमैन पद से है और भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (वर्ग -3) भर्ती नियम, 1964, जहां तक उनका संबंध ज्येष्ठ मुख्य माली पद से है, को उन बातों के सिवाए अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण में फील्ड सहायक के पद पर भर्ती पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात, :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का नाम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (फील्ड सहायक) भर्ती नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसके वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु - सीमा, अर्हताएं, इत्यादि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबन्धित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट है।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, या विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेंगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, यहां वह उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय -समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछडे वर्ग, पूर्व सैनिकों और प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
फील्ड सहायक	50* (2017) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा , समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर - 2	लागू नहीं होता ।
सीधे भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती के लिए शैक्षिक व अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगीं या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
18 से 25 वर्ष केन्द्रीय सरकार द्वारा समय -समय पर जारी अनुदेशों और आदेशों के अनुसार साधारण कर्मचारियों के लिए 40 वर्ष तक रियायत और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 45 वर्ष तक आयु में रियायत दी जा सकती है । टिप्पण: 1 आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि अंतिम तारीख जो असम,	आवश्यक अर्हताएं: किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से जीव विज्ञान के साथ समतुल्य सीनियर सेकेन्डरी (10+2) या समतुल्य वांछनीय अर्हताएं: वनस्पति विज्ञान में ज्ञान, फील्ड संग्रहण में या पादपालय कार्यप्रणाली या बागवानी और हिंदी का ज्ञान । टिप्पण 1:- अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं कर्मचारी चयन आयोग के	आयु: नहीं शैक्षिक अर्हताएं : नहीं (परन्तु कम से कम मैट्रिकुलेशन हो या समतुल्य और फील्ड संग्रहण या पादपालय कार्यप्रणाली या बागवानी में एक वर्ष का अनुभव)	सीधे भर्ती के व्यक्तियों के लिए 2 वर्ष का अनुभव	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधे भर्ती द्वारा ।

मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड , त्रिपुरा, सिक्किम , जम्मू व कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड , हिमाचल प्रदेश के लाहोल स्पीति जिले तथा चम्बा जिलें के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए अवधारित तारीख । टिप्पण: 2 रोजगार कार्यालय के अभ्यर्थियों की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी, जिस तारीख तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।	माध्यम से शिथिल की जा सकती है । टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के लिए किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या उपलब्ध होने की संभावना नहीं है ।			

प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनके द्वारा प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा ।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति : बहु -कार्य कर्मचारिवृंद (एमटीएस) वेतन मैट्रिक्स के स्तर -1 श्रेणी में नियमित 3 वर्ष की सेवा । **टिप्पण 1:** जहां कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा सकता है, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई अपेक्षित सेवा एवं अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि पूरी कर ली है । टिप्पण 2: प्रोन्नति हेतु न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी , 2006 से पूर्व (उस तारीख से जिससे छठे वेतन आयोग की सिफ़ारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है) आयोग की सिफ़ारिशों पर आधारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन में वेतनमान पर की गई सेवा समझी	**समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति** (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे - (क) निदेशक, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण - अध्यक्ष (ख) कार्यालय अध्यक्ष, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण , कोलकाता - सदस्य (ग) कार्यालय अध्यक्ष , भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण , कोलकाता - सदस्य (घ) उपसचिव स्तर का अधिकारी या भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का वैज्ञानिक (निदेशक, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण द्वारा मनोनीत) - सदस्य अध्यक्ष, अल्पसंख्यक एवं महिला उम्मीदवारों के हित की देखभाल हेतु किसी अन्य सदस्य की सहायता ले सकते है । समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि	लागू नहीं ।

जाएगी ।	पर विचार करने के लिए) (क) निदेशक, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण - अध्यक्ष (ख) कार्यालय अध्यक्ष , भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण , कोलकाता – सदस्य (ग) उपसचिव स्तर का अधिकारी या भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का वैज्ञानिक (निदेशक, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण द्वारा मनोनीत) - सदस्य	

[फा. सं. 01/01/2016-सीएसबी]

अनिल संत, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st February, 2017

G.S.R. 161(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Botanical Survey of India (Class-IV posts) Recruitment Rules, 1964 in so far as they relate to the post of Fieldman, and the Botanical Survey of India (Class III) Recruitment Rules, 1964 in so far as they relate to the post of Senior Head Mali, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of the Field Assistant in the Botanical Survey of India under the Ministry of Environment, Forest, and Climate Change, namely:-

1. **Short title and commencement.–** (1) These rules may be called the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Botanical Survey of India (Field Assistant) Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and Level in the pay Matrix.–** The number of post, its classification and the Level in the pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit and qualifications, etc.–** The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.–** No person, –

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living , has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.–** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Savings.–** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Level in the pay Matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Field Assistant.	50* (2017) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-2.	Not applicable.
Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Between 18 and 25 years. (Relaxable for Government servants up to the age of forty years in the case of general candidates and up to forty-five years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). **Note 1.-** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi sub- division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar islands and Lakshadweep. **Note 2.-** The crucial date for determining the age limit in the case of candidates from	**Essential qualification:** Senior Secondary (10+2) with Bio Science or equivalent from a recognised institution. **Desirable qualification:** Knowledge in Botany, knowledge of Field collections or Herbarium methodology or Gardening and write in Hindi. **Note 1.-** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of the candidates otherwise well qualified. **Note 2.-** The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of Staff Selection Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	Age: No. Educational Qualifications: No. (But must possess at least Matriculation or equivalent with one years' experience of Field collections or Herbarium methodology or Gardening).	Two years for direct recruitment.	By promotion failing which by direct recruitment.

Employment Exchange shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.				

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, Levels from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: Multi-Tasking Staff (MTS) with three years' regular service in Level in the pay Matrix -1. **Note 1.-** When juniors who have completed the eligibility period are considered for promotion, their seniors would also be considered irrespective of whether they have completed the requisite service provided they have completed the probation period. **Note 2.-** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 (the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding Level in the pay Matrix extended based on the recommendations of the Commission.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- (a) Director, Botanical Survey of India –Chairman; (b) Head of Office, Zoological Survey of India, Kolkata – Member (c) Head of Office, Botanical Survey of India, Kolkata – Member (d) One Senior Officer of the level of Deputy Secretary or Scientist of Botanical Survey of India (to be nominated by Director, Botanical Survey of India) - Member; The Chairman can co-opt any other member to look after the interest of minorities and female candidates. Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :- (a) Director, Botanical Survey of India – Chairman; (b) Head of Office, Botanical Survey of India, Kolkata – Member; and (c) Senior Officer of the level of Deputy Secretary or Scientist of Botanical Survey of India (to be nominated by Director, Botanical Survey of India) - Member	Not applicable.

[F. No. 01/01/2016-CSB]

ANIL SANT, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.03.02 11:30:04 +05'30'